उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2
संख्याः442963/XXX(2)/2026-E 60566
देहरादूनः दिनांक 23 अक्टूबर, 2026

अधिसूचना संख्याः 442931/XXX(2)/2026-E 60566, दिनांक 23 अक्टूबर, 2026 द्वारा प्रख्यापित **'उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारियों की आचरण (संशोधन) नियमावली, 2026'** की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड
3. प्रमुख सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
6. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
9. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
10. मण्डलायुक्त, गढ़वाल, पौड़ी एवं कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
11. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
12. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. महानिदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल।
14. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।।
15. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून
16. सचिव, उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, देहरादून।
17. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
18. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त नियमावली की अधिसूचना को मुद्रित कराकर इसकी 200 प्रतियां कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
19. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
20. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर ।
21. गार्ड फाईल।

संलग्नकः यथोक्त।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Manjula Kharkwal
Date: 23-10-2026
11:11:04

(मंजुला खर्कवाल)
अनु सचिव

File No. PVD2-AR/SR/9/2023-XXX-2-Personnel and Vigilance Department (Computer No. 60566)
Generated from eOffice by SUMIT NAUTIYAL, RO-PERSONNEL AND VIGILANCE SECTION 2-SN, REVIEW OFFICER, Personnel and Vigilance Department on 23/10/2026 11:49 am

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2
संख्याः 442931 /XXX(2)/2026-E 60566
देहरादून, दिनांकः 23 अक्टूबर, 2026

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्:–

उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारियों की आचरण (संशोधन) नियमावली, 2026

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारियों की आचरण (संशोधन) नियमावली, 2026 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 2 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002, (जिसको यहाँ आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नियम 2 में खण्ड (ग) के पश्चात् एक नया खण्ड निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

(घ) "सरकार से लेन–देन करने वाले व्यक्ति" से ऐसे व्यक्ति, फर्म, कंपनी, सहकारी संस्था अथवा अन्य निकाय अभिप्रेत है, जो उत्तराखण्ड राज्य सरकार अथवा उसके अधीनस्थ कार्यालयों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के साथ किसी संविदा, निविदा, आपूर्ति, सेवा, अनुदान, लाइसेंस, कराधान अथवा अन्य प्रशासनिक या वित्तीय विषय में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से व्यवहार करता हो।

स्पष्टीकरणः

(i) ऐसा व्यक्ति, जो किसी संस्था या निकाय की ओर से विधिवत् अधिकृत होकर राज्य सरकार से व्यवहार करता है, इस परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित माना जाएगा।

(ii) इस शब्दावली में ऐसे संविदाकार, आपूर्तिकर्ता, अभिकर्ता अथवा प्रतिनिधि भी सम्मिलित होंगे, जिनका राज्य सरकार के साथ प्रत्यक्ष हित, दायित्व या वित्तीय संबंध स्थापित हो।

File No. PVD2-AR/SR/9/2023-XXX-2-Personnel and Vigilance Department (Computer No. 60566)
Generated from eOffice by SUMIT NAUTIYAL, RO-PERSONNEL AND VIGILANCE SECTION 2-SN, REVIEW OFFICER, Personnel and Vigilance Department on 23/10/2026 11:46 am

नियम 15 का संशोधन	3.	मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 15 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
15–कोई सरकारी कर्मचारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, 1912 (एक्ट सं0 2, 1912) के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन निबद्ध किसी सहकारी समिति या सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 (एक्ट सं0 21, 1860) या किसी तत्स्थानी प्रवृत्त विधि के अधीन निबद्ध किसी साहित्यिक, वैज्ञानिक या धर्मार्थ समिति के निबन्धन, प्रवर्तन या प्रबन्ध में भाग ले सकता है।	15–सरकारी कर्मचारी अपनी पत्नी या किसी अन्य रिश्तेदार को, जो पूर्णतः उस पर आश्रित है या उसके साथ रहता है, उस जिले में बीमा एजेंट के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं देगा, जहां वह नियुक्त/तैनात है।

नियम 22 का संशोधन	4.	मूल नियमावली में स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 22 के उपनियम (1) एवं उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये उपनियम प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(1) कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जब कि समुचित प्राधिकारी को इसकी पूर्व जानकारी हो, या तो स्वयं अपने नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से, पट्टा, रेहन, क्रय, विक्रय या भेंट द्वारा या अन्यथा, न तो कोई अचल सम्पत्ति अर्जित करेगा और न उसे बेचेगा: परन्तु किसी ऐसे व्यवहार के लिये, जो किसी नियमित और ख्यातिप्राप्त (Reputed) व्यापारी से भिन्न व्यक्ति द्वारा सम्पादित किया गया हो, समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।	(1) कोई सरकारी कर्मचारी, समुचित प्राधिकारी/नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व जानकारी के बिना स्वयं अपने नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से, पट्टा, रेहन, क्रय, विक्रय या भेंट द्वारा या अन्यथा, न तो कोई अचल सम्पत्ति अर्जित करेगा और न उसे बेचेगा; परन्तु यह कि यदि ऐसा कोई संव्यवहार सरकारी कर्मचारी द्वारा "सरकार से लेन–देन करने वाले व्यक्ति" के साथ हो, तो समुचित प्राधिकारी/नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जायेगी;

File No. PVD2-AR/SR/9/2023-XXX-2-Personnel and Vigilance Department (Computer No. 60566)
Generated from eOffice by SUMIT NAUTIYAL, RO-PERSONNEL AND VIGILANCE SECTION 2-SN, REVIEW OFFICER, Personnel and Vigilance Department on 23/10/2026 11:46 am

उदाहरण

'क', जो एक सरकारी कर्मचारी है, एक मकान खरीदने का प्रस्ताव करता है। उसे समुचित प्राधिकारी को इस प्रस्ताव को सूचना दे देनी चाहिये। यदि वह व्यवहार, किसी नियमित और ख्यातिप्राप्त व्यापारी से भिन्न व्यक्ति द्वारा सम्पादित किया जाना है, तो 'क' को चाहिए कि वह संमुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति भी प्राप्त कर ले। यही प्रक्रिया उस दशा में भी लागू होगी जब 'क' अपना मकान बेचने का प्रस्ताव करें।

(2) कोई सरकारी कर्मचारी जो अपने एक मास के वेतन अथवा 5,000 रू0 जो भी कम हो, से अधिक मूल्य की किसी चल सम्पत्ति के संबंध में क्रय–विक्रय के रूप में या अन्य प्रकार से कोई व्यवहार करता है तो ऐसे व्यवहार की रिपोर्ट तुरन्त समुचित प्राधिकारी को करेगा;

प्रतिबन्ध यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय किसी ख्यातिप्राप्त व्यापारी या अच्छी साख के अभिकर्ता के साथ या द्वारा या समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से, इस प्रकार का कोई व्यवहार नहीं करेगा।

उदाहरण

(i) 'क', जो एक सरकारी कर्मचारी है जिसका मासिक वेतन छः सौ रूपया है और वह सात सौ रूपये का टेप रिकार्डर खरीदता है, या;

(ii) 'ख', जो एक सरकारी कर्मचारी है जिसका मासिक वेतन दो हजार रूपया है और पन्द्रह सौ रूपये में मोटर बेचता है;

किसी भी दशा में 'क' या 'ख' को इस मामले की रिपोर्ट समुचित प्राधिकारी को अवश्य करनी चाहिये। यदि व्यवहार किसी ख्यातिप्राप्त व्यापारी से भिन्न प्रकार से किया जाता है तो उसे समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिये।

परन्तु यह और कि प्रथम नियुक्ति के समय और तदोपरान्त समूह 'क', 'ख' एवं 'ग' के प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रतिवर्ष तथा समूह 'घ' के कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष में अपनी सम्पत्ति का विवरण समुचित प्राधिकारी/नियुक्ति प्राधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) कोई सरकारी कर्मचारी जो अपने दो मास के मूल वेतन से अधिक मूल्य की किसी चल सम्पत्ति के संबंध में क्रय–विक्रय के रूप में या अन्य प्रकार से कोई संव्यवहार करता है तो ऐसे संव्यवहार की सूचना एक माह के भीतर समुचित प्राधिकारी/नियुक्ति प्राधिकारी को करेगा:

परन्तु यह कि यदि ऐसा कोई संव्यवहार सरकारी कर्मचारी द्वारा ''सरकार से लेन–देन करने वाले व्यक्ति'' के साथ हो, तो समुचित प्राधिकारी/नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Girdhari Singh Rawat
Date: 23-10-2026
10:35:02

(गिरधारी सिंह रावत)
अपर सचिव।

File No. PVD2-AR/SR/9/2023-XXX-2-Personnel and Vigilance Department (Computer No. 60566)
Generated from eOffice by SUMIT NAUTIYAL, RO-PERSONNEL AND VIGILANCE SECTION 2-SN, REVIEW OFFICER, Personnel and Vigilance Department on 23/10/2026 11:47 am

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of notification no. 442931 /XXX(2)/2026-E 60566 dated 23 October, 2026 for general information.

Government of Uttarakhand
Personnel and Vigilance Section-2
No. 442931 /XXX(2)/2026-E 60566
Dehradun, Dated 23 October, 2026

Notification
Miscellaneous

In exercise of the power conferred by the proviso to article 309 of "the Constitution of India" the Governor is pleased to make the following rules with a view to further amend in the "The Uttarakhand Government Servants Conduct Rules, 2002", namely:-

The Uttarakhand Government Servants Conduct (Amendment) Rules, 2026

Short title and Commencement

1.(1) These rules may be called the "The Uttarakhand Government Servants Conduct (Amendment) Rules, 2026."

(2) It shall come into force at once.

Amendment of rule 2

2. In Uttarakhand Government Servants Conduct Rules, 2002 (hereinafter referred to as principal rules) in rule 2 afters clause (c) a new clause shall be inserted as follows, namely:-

(d) **"Person having dealings with the Government"** means any person, firm, company, co-operative society, or other body that directly or indirectly deals with the Government of Uttarakhand, or its subordinate offices, autonomous bodies in matters concerning any contract, tender, supply, service, grant, license, taxation, or any other administrative or financial matter.

Explanation:

(i) Such person who is duly authorized on behalf of any institution or body to deal with the State Government shall be deemed to be included within this definition.

(ii) This term shall also include such contractors, suppliers, agents or representatives who have a direct interest, liability, or financial relationship established with the State Government.

Amendment of rule 15

3. In the principal rules, for the existing rule 15 as set out in column-1 below, The rules as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

File No. PVD2-AR/SR/9/2023-XXX-2-Personnel and Vigilance Department (Computer No. 60566)
Generated from eOffice by SUMIT NAUTIYAL, RO-PERSONNEL AND VIGILANCE SECTION 2-SN, REVIEW OFFICER, Personnel and Vigilance Department on 23/10/2026 11:46 am

Column-1 Existing sub rule	Column-2 Sub rule hereby Substituted
15. A Government servant shall not permit his wife or any other relative who is either wholly dependent on him or is residing with him, to act as an insurance agent in the same district in which he is posted.	15. A Government servant shall not permit his wife or any other relative who is either wholly dependent on him or is residing with him, to act as an insurance agent in the same district in which he is posted.

Amendment of rule 22

4. In the principal rules, for the existing sub-rule (1) and sub-rule (2) of rule 22 as set out in column-1 below, the sub-rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing sub rule	Column-2 Sub rule hereby Substituted
(1) No Government servant shall, except with the previous knowledge of the appropriate authority, acquire or dispose of any immovable property by lease, mortgage, purchase, sale, gift or otherwise, either in his own name or in the name of any member of his family: Provided that any such transaction conducted otherwise than through a regular and reputed dealer shall require the previous sanction of the appropriate authority. **Illustration** A, a Government servant, proposes to purchase a house. He must inform the appropriate authority of the proposal. If the transaction is to be made otherwise than through a regular and reputed dealer, A must also obtain the previous sanction of the appropriate authority. The same procedure will be applicable it A proposes to sell his house.	(1) No Government servant shall, except with the prior knowledge of the competent authority / appointing authority, acquire or dispose of any immovable property, either in their own name or in the name of any member of their family, by lease, mortgage, purchase, sale, gift, or otherwise: Provided that any such transaction conducted by the Government servant with a "person having dealings with the Government" shall require the prior sanction of the competent authority/ appointing authority; Provided further that details of assets shall be submitted to the competent authority/appointing authority by every officer /employee of Group 'A', 'B', and 'C' annually, and by employees of Group 'D' every five years, at the time of first appointment and subsequently thereafter.
(2) A Government servant who enters into any transaction concerning any movable property exceeding in value, the amount of his pay for one month or rupees five thousand, whichever is less, whether by way of purchase, sale or otherwise, shall forthwith report such transaction to the	(2) Any Government servant who enters into any transaction concerning movable property, whether by way of purchase, sale or otherwise, the value of which exceeds their two months' basic pay, shall report such transaction to the competent authority / appointing authority within one

appropriate authority:

Provided that no Government servant shall enter into any such transaction except with or through a reputed dealer or agent of standing, or with the previous sanction of the appropriate authority.

Illustration

(i) A, a Government servant whose monthly pay Rs. 600 purchases a tape recorder for As. 700, or

(ii) B, a Government servant whose monthly pay is Rs. 2000 sells a car for Rs. 1500;

In either case A or B must report the matter to the appropriate authority. If the transaction is made otherwise than through a reputed dealer must also obtain the previous sanction of the appropriate authority.

month:

Provided that if any such transaction is conducted by the Government servant with a "person having dealings with the Government", the prior sanction of the competent authority / appointing authority shall be obtained

By Order,

Girdhari Singh Rawat
Additional Secretary.

File No. PVD2-AR/SR/9/2023-XXX-2-Personnel and Vigilance Department (Computer No. 60566)
Generated from eOffice by SUMIT NAUTIYAL, RO-PERSONNEL AND VIGILANCE SECTION 2-SN, REVIEW OFFICER, Personnel and Vigilance Department on 23/10/2026 11:46 am